संख्या-01/2018/88/71-3-2018-जी-585/2012टीसी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 24 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3917, दिनांक 21-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूँजीलेखा के अंतर्गत "4210-03-789-17-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ, 19-पैरा मेडिकल कालेज, आजमगढ, 25-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट एवं 32-राजकीय मेडिकल कालेज, चन्दौली 24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 984.61 लाख (रूपये नौ करोड चौरासी लाख इकसठ हजार मात्र) की हो रही सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मदों में संक्रमित कर संक्रमित धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आधारभूत आवश्यकताओं पर ही किया जायेगा।
(3) जिस मद से धनराशि संक्रमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
(4) महानिदेशक तथा नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है।
(5) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
(6) महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(7) व्यय वित्त समिति की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) उक्त अनुदान संख्या-83 से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
(9) शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-15 मेडिकल कालेज, जौनपुर-24 वृहद निर्माण कार्य' ' के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रतिनिहित आधिकारों के अंतर्गत जारी किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रमुख सचिव।

संख्या:-01/2018/88(1)/71-3-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, जौनपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जौनपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी जौनपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- समाज कल्याण विभाग।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।